

(b) The National Highway No. 5 passes through West and East Godavari districts. Improvement works like Eluru bypass, strengthening of Km 44 to 75 and other works all totalling to Rs. 143.55 crores have been sanctioned. Further, under Annual Plan 1996-97, there is a provision for strengthening of 15 Km of N.H. 5 at an estimated cost of Rs. 3.00 crores.

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3132. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) गुजरात के प्रत्येक जिले में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम के अनुसार गुजरात संचार सुविधाओं के मामले में पिछड़ रहा है; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्य में प्रतीक्षा-सूची में दर्ज प्राथियों को टेलीफोन-कनेक्शन जारी करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा): (क) से (ग) वार्षिक रिपोर्ट 1995-96 में उपलब्धियों से संबंधित ब्यौरे दिए गए हैं। इसमें विकास संबंधी कोई भी लक्ष्य विनिर्दिष्ट नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) 31.3.96 की स्थिति के अनुसार 2.12 लाख प्रतीक्षा सूची के प्रति गुजरात में वर्ष 1996-97 के लिए 1.88 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Plan for construction of bypasses during Ninth Five Year Plan

3133- DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the National Highways Authority of India plans to construct 40 city bypasses in the country during the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, whether they have already identified 27 city bypasses;

(c) by when the remaining 13 bypasses are likely to be selected;

(d) whether Government have made provisions of about Rs. 120 crore for acquisition of land for bypasses; and

(e) the total amount involved and by what time the work is likely to be started?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRIT.G. VENKATRAMAN):

(a) to (e) The National Highways Authority of India have identified 35 bypasses and propose to develop them on B.O.T. basis. The projects are at conceptual stage only and hence it is too early to indicate any details.

भोपाल पारपत्र कार्यालय में लंबित आवेदन-पत्र

3134. श्री राधाकिशन मालवीय: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में 30 जून, 1996 तक कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(ख) विलंब के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में 30.6.96 को विलंबित आवेदनों की संख्या 2743 है।

(ख) पासपोर्ट सामान्यतया स्पष्ट पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट पर अथवा साक्ष्यांकन हेतु पुलिस को पत्र भेजे जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर, दोनों में से जो भी हो, और "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर जारी किए जाते हैं। यद्यपि आवेदनों पर कार्रवाई करने में देर नहीं की जाती है, तथापि, ऐसे मामले होते रहते हैं जिनमें निम्नलिखित कारणों से पासपोर्ट जारी करने विलंब हुआ है: संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से नकारात्मक अथवा अधूरी रिपोर्ट प्राप्त होना, आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों, विशेषरूप से डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के दस्तावेजों में विसंगति, आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने पर उनके प्रत्युत्तर न मिलना। ऐसे सभी मामलों में पासपोर्ट कार्यालय भोपाल संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट त्वरित गति से भेजी जाए तथा संबंधित आवेदकों से कहता है कि वे अपेक्षाओं को पूर्ण करें और अपने आवेदन पत्रों में रह गई कमियों को पूरा करें ताकि

उन्हें शीघ्रता से पासपोर्ट जारी किया जा सके। वास्तव में अधिकांश मामलों में पासपोर्ट कार्यालय भोपाल 35 दिन की अवधि के अन्दर आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करके पासपोर्ट जारी कर देता है।

पासपोर्ट आवेदकों को पेश आने वाली समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सामान्य उपाय भी किए जा रहे हैं और इन उपायों का उद्देश्य पासपोर्ट सुविधाओं को उदार तथा बेहतर बनाना है। इसमें भारतीय पासपोर्ट की वैधता अवधि तथा उसके आकार को बढ़ाना भी शामिल है ताकि नवीकरण के मामलों में पर्याप्त कमी की जा सके। साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले व्यक्तियों की सूची में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है।

देश में नदियों को परस्पर मिलाया जाना

3135. श्री राम बैठमलानी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में नदियों को परस्पर मिलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस निर्णय को कार्यरत देने के लिए सरकार एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि नदियों को परस्पर मिलाने के ऐसे ही प्रस्ताव पिछले कुछ दशकों के दौरान विशेषज्ञ समितियों द्वारा भी प्रस्तुत किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जल संसाधनों के विकास के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बनाया गया है जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जल अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का अंतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने और हिमालयी नदियों को अलग से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) जी हां। केन्द्र सरकार एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आयोग गठित करने पर विचार कर रही है। देश में नदियों को आपस में जोड़कर जल अधिशेष बेसिनों से जल कमी

वाले बेसिनों को अंतरण के लिए रूपात्मकताओं की सलाह देना आयोग की संदर्भ की शर्तों में से एक है।

(घ) और (ङ) एक प्रस्ताव डा. के. एल. राव द्वारा और दूसरा कैप्टन दस्तूर द्वारा बनाए हुए विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। डा. के. एल. राव के प्रस्ताव की एक विशेषज्ञ समिति और केन्द्रीय जल आयोग ने जांच की थी और प्रतिबंधित लागत, विद्युत के वृहद ब्लाकों की आवश्यकता और साथ ही बाढ़ नियंत्रण के कोई लाभ होने के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। कैप्टन दस्तूर की योजना को केन्द्रीय जल आयोग, राज्य सरकारों के विशेषज्ञों एवं प्रोफेसरों की दो विशेषज्ञ समितियों ने जांच की जिनकी राय थी कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से प्रतिबंधात्मक था।

ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े टेलीफोन

3136. श्री नागमणि:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में लगाए गए अधिकांश एक्सचेंज और टेलीफोन पिछले छ: महीने से खराब पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है;

(घ) इन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने से पहले इन्हें ठीक कराने के लिए बनाई गई योजनाओं के साथ-साथ इन योजनाओं को अब तक कार्यान्वित न किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में अनेक अधिकारी दोषी पाए गए हैं; यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) नए एक्सचेंजों की संस्थापना से पहले उनका गुणवत्ता की दृष्टि से परीक्षा किया जाता है तथा समुचित संस्थापन के लिए इसका स्वीकृति परीक्षण किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।